13388/23

Min-28

Mi book-9

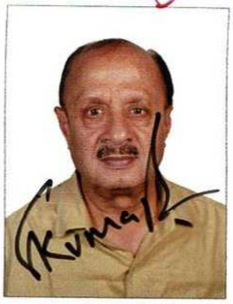
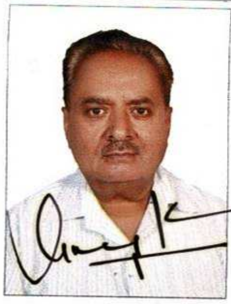

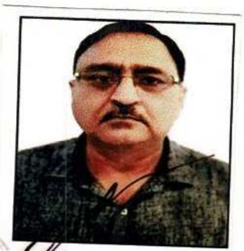

विक्रय–पत्र

पृष्ठ–72 के क्रमांक 310 के प्रारूप–4 के वी0कोड 1301

बाजारी कीमत–6,48,000/–रू0, स्टाम्प–2,04,000/–रू0

दर–65 लाख + 10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या–IN-UP70279885930685V

1–	भूमि का प्रकार	–	कृषि
2–	परगना	–	जमौर
3–	ग्राम	–	नवादा इन्देपुर
4–	सम्पत्ति का विवरण	–	गाटा सं0–7मि0
5–	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.543 हे0 में से 0.0905 हे0 यानी 905 वर्ग मीटर

6– क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।

7–	सड़क की स्थिति	–	मुख्य सड़क से करीब 500मी0दूर
8–	प्रतिफल	–	28,96,000/– रूपया

204000

विवरण चौहद्दी :–

पूरब	–	खेत श्याम अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी
पश्चिम	–	खेत अशोक आदि
उत्तर	–	खेत विनय कुमार कुमरा आदि
दक्षिण	–	खेत वसीउल्ला आदि

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन कुमरा निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0–9415035527, 9415119717 पैन नं0–ABOPK4221G,ABOPK4222F

.... **प्रथम पक्ष**

एवं

एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर श्याम अग्रवाल पुत्र हितेश कुमार अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। पैन नं0–ABDCS6704J मो0–9648600000

...............**द्वितीय पक्ष**

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका गाटा संख्या 7 मि0 रकबा 0.5430 हे0 लागान खाता अनुसार हम प्रथम पक्ष की है, जिसके बाबत हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक मालिकाना हस्तान्तरण आदि के हासिल हैं। यह कि प्रथम पक्ष प्रताप सिंह कुमरा के वारिस है प्रताप सिंह कुमरा द्वारा अपने जीवन काल में कुछ भूमि क्रय की गयी थी जिसमें से खसरा

आवेदन सं०: 202300795005373

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2896000 स्टाम्प शुल्क- 204000 बाजारी मूल्य - 648000 पंजीकरण शुल्क - 28960 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 29020

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा
श्याम अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री हितेश कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

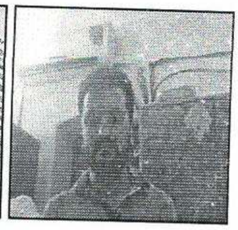

श्री, एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा श्याम अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/05/2023 एवं 12:25:20 PM बजे
निबंध०न हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें

संख्या 3 प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी के नाम खरीदी गयी थी तथा खसरा संख्या 7 प्रताप इंडस्ट्रीज के नाम खरीदी गयी थी प्रताप इंडस्ट्रीज ने पहले एक ऑयल मिल प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी की भूमि पर लगा ली थी बाद में परिवार में व्यापार बदलकर इस संबन्ध में धारा 143 अंतर्गत 04.09.1986 की खसरा संख्या 3/2.34 एकड़ व खसरा संख्या 7 मिनजुमला/1.35 एकड औद्योगिक घोषित कर दी गयी थी लेकिन प्रताप इंडस्ट्रीज की भूमि खसरा संख्या 7 हमेशा खाली रही है उसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु रहा खसरा संख्या 7मि0 के अंश पर जो मिल लगाई गयी थी वह भी आपसी विवाद में बंद हो गयी तथा उक्त मिल की इमारत जो प्रताप इंडस्ट्रीज की इमरात बनी थी जिसके सिर्फ मलवे की मालिक प्रताप इंडस्ट्रीज थी उक्त मलवा भी मौके से हट गया और समस्त औद्योगिक भूमि का उपयोग भी समाप्त हो गया। यह कि बाद में परिवार में विवाद होने पर मुकदमा दारी शुरू हो गयी तथा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर में मूल वाद संख्या 192/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम अरूणा देवी आदि तथा मूल वाद संख्या 198/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राजकुमार आदि दायर हुये उक्त निर्णय उपरांत विक्रय की जाने वाली भूमि खसरा 7 स्थित नवादा इन्देपुर रकबा 0.543 हे0 सम्पूर्ण पर हम विक्रेंतागण सुशील कुमार कुमरा एवं विनय कुमार कुमरा का नाम दर्ज हो गया है और उपरोक्त भूमि के पूर्ण मालिक काबिज दखिल के उपरोक्त भूमि 1986 में औद्योगिक भूमि दर्ज हो गयी थी लेकिन उसका औद्योगिक उपरोक्त उपरोक्त फर्म विघटित हो जाने के बाद

आवेदन सं०: 202300795005373

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० के द्वारा श्याम अग्रवाल, पुत्र श्री हितेश कुमार अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विजय कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम रतन कुमरा

निवासी: प्लाट नं0 5 साउथ सिटी एक्टेशन शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री कमल कुमार , पुत्र श्री सुखवीर

निवासी: मो0 खिरनीबाग शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :स्टाम्प कमी

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें

समाप्त हो गया था और विगत 20 वर्ष से अधिक से उक्त भूमि पर कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं लगी हुई है और राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अभी तक उस पर गलत तौर अकृषक भूमि होना राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है धारा 144 यू0पी0जैड0 एंड एल0आर0एक्ट राजस्व अधिकारियों का स्वयं दायित्व था कि मौके पर कृषि हो रही है को राजस्व अभिलेखों में सही दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया है विगत 20 वर्षो से उक्त भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है वर्तमान खतौनी में भी सिर्फ कृषि भूमि दर्ज है उक्त कृषि भूमि का निकास चकरोड पर है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी कुल काश्त में से रकबा 0.0905 हे0 काश्त को खूब सोच व समझकर बिना किसी जबर व दबाव के खुशी खुद बदले मुबलिग 28,96,000/– रू0 (अठाई लाख छियानवे हजार रूपया) जिसके आधे मु0 14,48,000/– रू0 (चौदह लाख अढतालीस हजार रूपया) होते हैं, में बदश्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दी तथा कुल कीमत अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक, काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रीत काश्त के बावत् यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम, सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे। निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित मुझ प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे को कोई उज्र या

14-2-23

UPSH050026242018

39 ...

न्यायालयः सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि

मूलवाद संख्या– 283/2018

(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक– 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा– 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा–30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा–30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा–30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उपयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करेगें।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा–30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा–30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा–30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/समझौतानामा–30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा–30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा–30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अवयस्क पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनिमय से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

20/12/22

(हितेश अग्रवाल)
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2060)

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

इंकार न होगा।

मूल्यांकन सूची के पृष्ठ–72 के क्रमांक 310 के प्रारूप–4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/– रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु 10 प्रतिशत बृद्धि करने अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल मूल्य कीमत मु0 6,48,000/– रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय मु0 28,96,000/– रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेडयूल–1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

<u>विवरण अदायगी प्रतिफल</u>

समस्त प्रतिफल मु0 28,96,000/– रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

चेक सं0	धनराशि	दिनांक	बैंक
286485	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286486	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा

नोट :– क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति

ता० पेशी- 18/11/22

उप निबन्धक

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION SHAHJAHANPUR

Original Suit No. 283 of 2018

1. Mohd. Raees Khan S/o Mohd. Shafi Khan R/o Mohalla Dilajak, Shahjahanpur.

2. Smt. Pramila Devi W/o Shri Braj Kishore Mishra R/o Quarter No.1-H-45, Double storey Factory Estate, Shahjahanpur.
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra W/o Shri Gopesh Mishra R/o Village Pena Bujurg, Pargana & Tehsil Sadar Shahjahanpur.
4. Smt. Sidh Shri W/o Shri Sita Ram R/o Sainik Colony, Near Deep dairy Shahjahanpur.

5. Ajay Kumar Gupta S/o Shri Ram Kumar Vaishya R/o Quarter No.291/2, Nehru Road, Factory Estate, Shahjahanpur.
6. Manish Khiloria S/o Shri Suresh Prasad Khiloria R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
7. Ranjeev Khiloria S/o Shri Shiv Shankar Prasad Saxena R/o Factory Estate, Shahjahanpur.

8. Raghveer Sharan S/o Shri Kadel Singh R/o Village Mudiria Ahband Pargana Pasgawan, Tehsil Mohamdi ~~Shahjahanpur~~ Kheri.
9. Smt. Jitendra Saxena W/o Shri Praveen Kumar Saxena R/o Mohalla Dilajag, Cantt, Shahjahanpur.

10. Vishwadhar Mishra S/o Shri Shivadhar Mishra R/o 2, Civil Lines, Shahjahanpur.

--------- Plaintiffs

1. Niranjan Singh S/o Late Hazara Singh R/o 307/4 J. Type Factory Estate, Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.
2. Shakeel Ahmad S/o Late Rafee Ullah R/o Mohalla Tareen Jalalnagar Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

--------- Defendants

श्रीमान जी,

उपरोक्त वाद में सादर निवेदन है कि उभय पक्षकारगण के मध्य समाज के चंद भले लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है और पक्षकार अब मुकदमा नहीं लडना करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत फहमीवश विवादित बैनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 22.12.2015 को कर दिया था। लेकिन अब सही तथ्यों का ज्ञान हुआ है। विवादित सम्पत्ति का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरदार हजारा सिंह ने दिनांक 09.01.1987 को कर दिया था और विवादित सम्पत्ति की बावत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही हुये थे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त मूलवाद निम्न समझौते के आधार पर निर्णीत कर समझौते को आज्ञप्ति का अंश बनाने की कृपा करें।

प्रमिला देवी कृष्णा कान्ती मिश्रा जितेन्द्र सक्सेना विश्वाधर सिद्ध श्री मनीष खिलोरिया रंजीव खिलोरिया

उप निबन्धक

शकील अहमद

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Signature.
ACC Name- Smt. Vimlesh Yadav
ACC Code- UP14170504
ACC Address- Moh. Bharat Dwaji
Mobile No.-9454555869,7985754879
License No. 11/2014 Tehsil & District
Shahjahanpur U.P.

Certificate No.	:	**IN-UP70279885930685V**
Certificate Issued Date	:	27-Mar-2023 01:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14170504/ SHAHJAHANPUR SADAR/ UP-SJH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1417050432524014664716V
Purchased by	:	SPKN AND SONS PVT LTD BY DIRECTOR SHYAM AGARWAL
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	AGRICULTURAL LAND SITUATED AT VILLAGE-NAWADA INDEPUR TEHSIL-SADAR DISTT-SHAHJAHANPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SUSHIL KUMAR KUMRA SO RAM MOHAN KUMRA AND OTHERS
Second Party	:	SPKN AND SONS PVT LTD BY DIRECTOR SHYAM AGARWAL
Stamp Duty Paid By	:	SUSHIL KUMAR KUMRA SO RAM MOHAN KUMRA AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,04,000 (Two Lakh Four Thousand only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

204000

JD 0040608007

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

संधि पत्र

आज यह संधि पत्र वादी गण मोहम्मद रईस खाँ, श्रीमती प्रमिला देवी, श्रीमती कृष्णा कान्ती मिश्रा उर्फ कृष्णा मिश्रा, श्रीमती सिद्धि श्री, प्रताप कुमार गुप्ता, मनीष खिलौरिया द्वारा मुख्तार खास रजीव खिलौरिया, रजीव खिलौरिया, रघुवर शरण द्वारा मुख्तार खास मोहम्मद रईस खाँ, श्रीमती जितेन्द्र सक्सेना, व विश्वाधार मिश्रा की शनाख्त श्री बुद्धपाल सिंह एड० व प्रति वादी गण निरंजन सिंह व शकील अहमद की शनाख्त उनके अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव एड० द्वारा किया गया। संधि पत्र पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। संधि पत्र तस्दीक पक्षकारों की ओर से स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर की गयी।

14/11/22

प्रमिला देवी
रघुवीर शरण
Umesh कुमार गुप्ता
मनीष खिलौरिया
सिद्धि श्री
रजीव खिलौरिया

Niranjan Singh
शकील अहमद

Identify Signature of Mr Niranjan and Shakeel Ahmad
14.11.22
(कुलदीप श्रीवास्तव एड०)

कृष्णा कान्ती मिश्रा
जितेन्द्र सक्सेना
विश्वाधार मिश्रा

Identified all
B Singh Ad
14-11-22
(Budhpal Singh) Ad

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम— [illegible]

तहसील सदर जिला—शाहजहांपुर

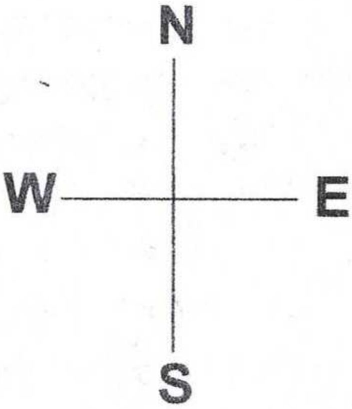

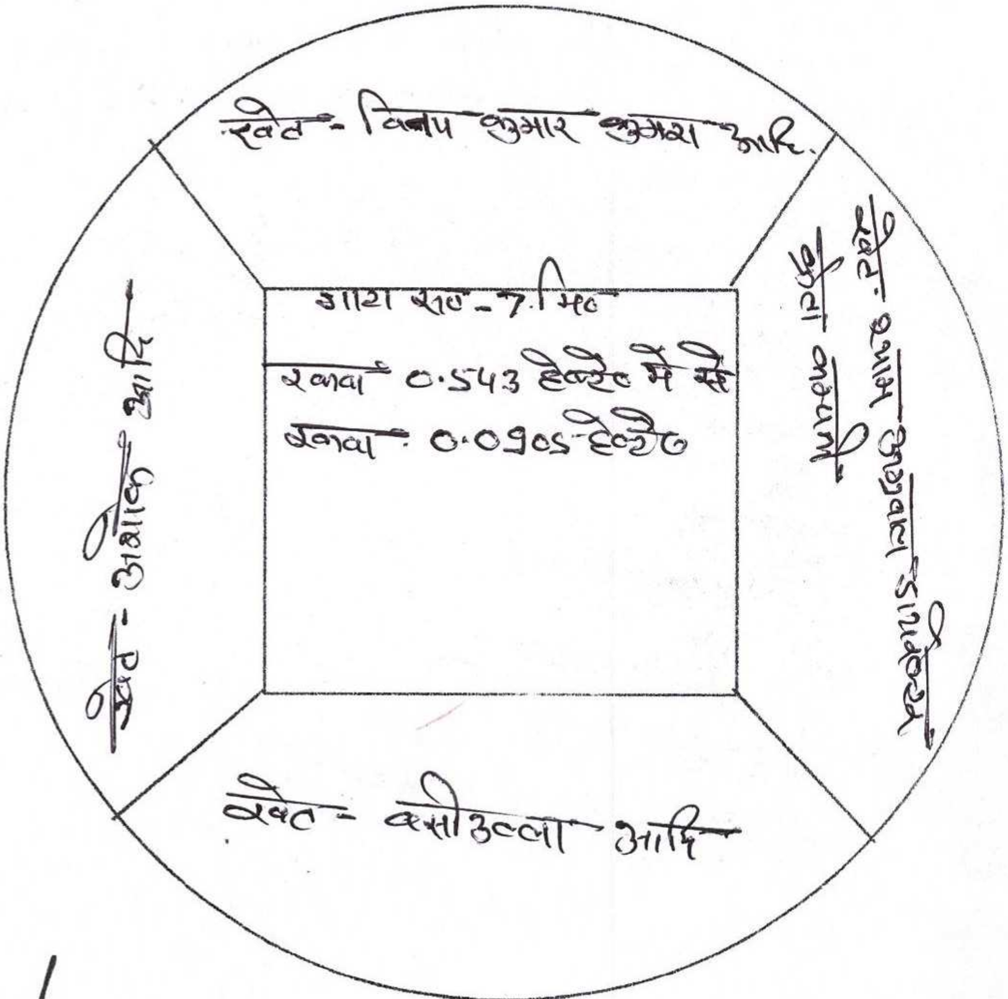

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

31

आधार समझौता

1. यह कि दावा वादी बावत याचना (अ) आज्ञप्त माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 शकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की प्रविष्टि अपने अभिलेखो मे कर देंगे।
2. यह कि विवादित बैनामे के संबंध मे स्टाम्प वाद संख्या 141 सन् 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फैसला 04.01.2016 मे पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनामे के संबंध मे जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रू 5,33,590/- एव इस धनराशि पर ब्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देंगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबंधक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेगें और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
5. यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
6. यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

प्रतिवादीगण

1. Niranjan Singh
2. Shakeel Ahmad

Through
Counsel

द्वारा- कुलदीप श्रीवास्तव

कुलदीप श्रीवास्तव
रजि० न०-UP2659/16 एडवोकेट
जजेस कोर्ट, शाहजहाँपुर
मो०.8090649175

वादीगण

1. Mohd. Raees Khan
2. Smt.Pramila Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt.Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt.Jitendra Saxena
10. Vishwadhar Mishra

Through
Budhpal Singh
Advocate

10-11-22

Budh Pal Singh
Advocate
Collectrate, Shanjahanpur
Reg. No. 7509/92

उप निबन्धक
सदर-शाहजहाँपुर

फोटोग्राफ आराजी काश्त

स्थित मोहल्ला / ग्राम–चवादा इन्देपुर परगना जमौर

तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर

प्रेषक,

उप निबन्धक,
सदर–शाहजहाँपुर।

सेवा में,

जिला स्टाम्प कलेक्टर,
शाहजहाँपुर।

द्वारा– सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
शाहजहाँपुर।

संख्याः–201 / उ0नि0 / मूल विलेख / 2023 दिनांक 16 मई, 2023

विषयः– भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 ए(1) / 33 के अन्तर्गत मूल विलेख जब्त करके धारा 38(2) में प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

एक किता मूल बैनामा मालियती 2896000 / 648000 इकरारी सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा वहक एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शाहजहाँपुर द्वारा डायरेक्टर श्याम अग्रवाल आराजी स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील व जिला शाहजहाँपुर विकीत भूमि गाटा सं0 7मि0 रकवा 0.543 हे0 में से 0.0905 हैक्टेयर मूल्यांकन सूची दिनांक 26.09.2022 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर 65 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर आबादी से सटी कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन करके स्टाम्प शुल्क 204000 / – एवं निबन्धन शुल्क 28960 / –अदा किया गया। दिनांक 03–05–2023 को निबन्धन हेतु प्रस्तुत हुआ।

उक्त लेखपत्र में लेखपत्र के साथ प्रस्तुत इन्तखाब खतौनी में उपरोक्त गाटा सं0 7मि0 औद्योगिक उपयोग के रूप में अकृषक घोषित किया गया है। जिलाधिकारी मूल्यांकन दर सूची के पृष्ठ 36 कमांक 309 के अनुसार अकृषक / आवासीय भूमि की दर 9700 / – प्रति वर्ग मी0 से मूल्यांकन किया जायेगा।

उपरोक्त विकीत भूमि 0.0905 हे0 अर्थात 905 वर्ग मी0 की सरकारी मालियत 9700 रू0 प्रति वर्ग मी0 से 8778500 / –अर्थात 8779000 / – होती है। जिस पर नियमानुसार 614530 / – स्टाम्प शुल्क एवं 87790 / – निबन्धन शुल्क देय होता है। दिया गया स्टाम्प 204000 / – एवं निबन्धन शुल्क 28960 / – है। कमी स्टाम्प 410530 / – एवं कमी निबन्धन शुल्क 58830 / – है। कुल कमी (स्टाम्प+निबन्धन शुल्क) =469360 / – होती है। विलेख में मिनट बुक प्रविष्टि सं0 9 दिनांक 03.05.2023 द्वारा निबन्धन कार्यवाही स्थिगित कर पक्षकार को आपत्ति पर्ची जारी कर स्टाम्प अधिनियम की धारा 47ए(1) / 33 के अन्तर्गत मूल अपंजीकृत विलेख इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कमी स्टाम्प एवं कमी निबन्धन शुल्क वसूल करने का कष्ट करें। वाद वसूली मूल विलेख अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

नोटः–विलेख में अंकित तथ्यो के आधार पर विलेख का पंजीकरण स्थगित किया गया है। स्टाम्प कलेक्टर को बाजारी मूल्य निर्धारण हेतू दर सूची 26.09.2022 के पृष्ठ 4 कम 14 के प्रावधानों को भी संज्ञान में लिया जा सकता है।

संलग्नकः–

1–मूल लेखपत्र मय ई–स्टाम्प 204000 / –

2– आपत्ति पर्ची मूल रूप में।

भवदीय

उप निबन्धक
सदर शाहजहाँपुर

के नहीं हैं। काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काश्त में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।

गवाह–1	विजय कुमार कुमरा पुत्र राम रतन कुमरा निवासी प्लाट नं0 5 साउथ सिट एक्सटेंशन शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0– 9648115555
गवाह–2	कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनीबाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0–9919214999
मसविदा–	आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0–9935535799

दिनांक 24/03/2023

Alok Kumar Mishra (Advocate,
Reg. No.-5798/07
Judges Court, Shahjahanpur
Mob - 993[redacted]799

आवेदन सं०: 202300795005373

मिनट बुक संख्या 9 द्वारा निबंधन की कार्यवाही स्थगित की गई ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

आवेदन सं०: 202300795005373

पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

मिनट बुक संख्या 28 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 125 से 142 तक क्रमांक 13388 पर दिनाँक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

प्रिंट करें

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश यादव
उप निबंधक : सदर
शाहजहांपुर
30/08/2023

As per order of ADM(F/R) Shahjahanpur dt- 27.06.2023

Certified that the amount required make up the proper stamp duty is Rs. 4,10,530/- in words Four Lakh Ten thousand five hundred Thirty only. and a penalty of Rs. 4000/- in words Four Thousand only and Registration fee Rs. 58830/- in words Fifty Eight thousand Eight hundred Thirty only. and Interest (1.5% per month) Rs (12,316 + 6,160) = 18,476/- in words Eighteen thousand Four hundred Seventy six only. have been levied in respect of this instrument and have been paid by Sri Shyam Agrawal S/o Hitesh Kumar Agrawal R/o Ajiz Ganj Tasil Sadar SPN. Through Treasury Chalan No GC00060 12.07.2023 HB00147 14.08.2023 Dated.......

ADM F/R
13/8/23
Collector
Stamp. Shahjahanpur

प्रिंट करें